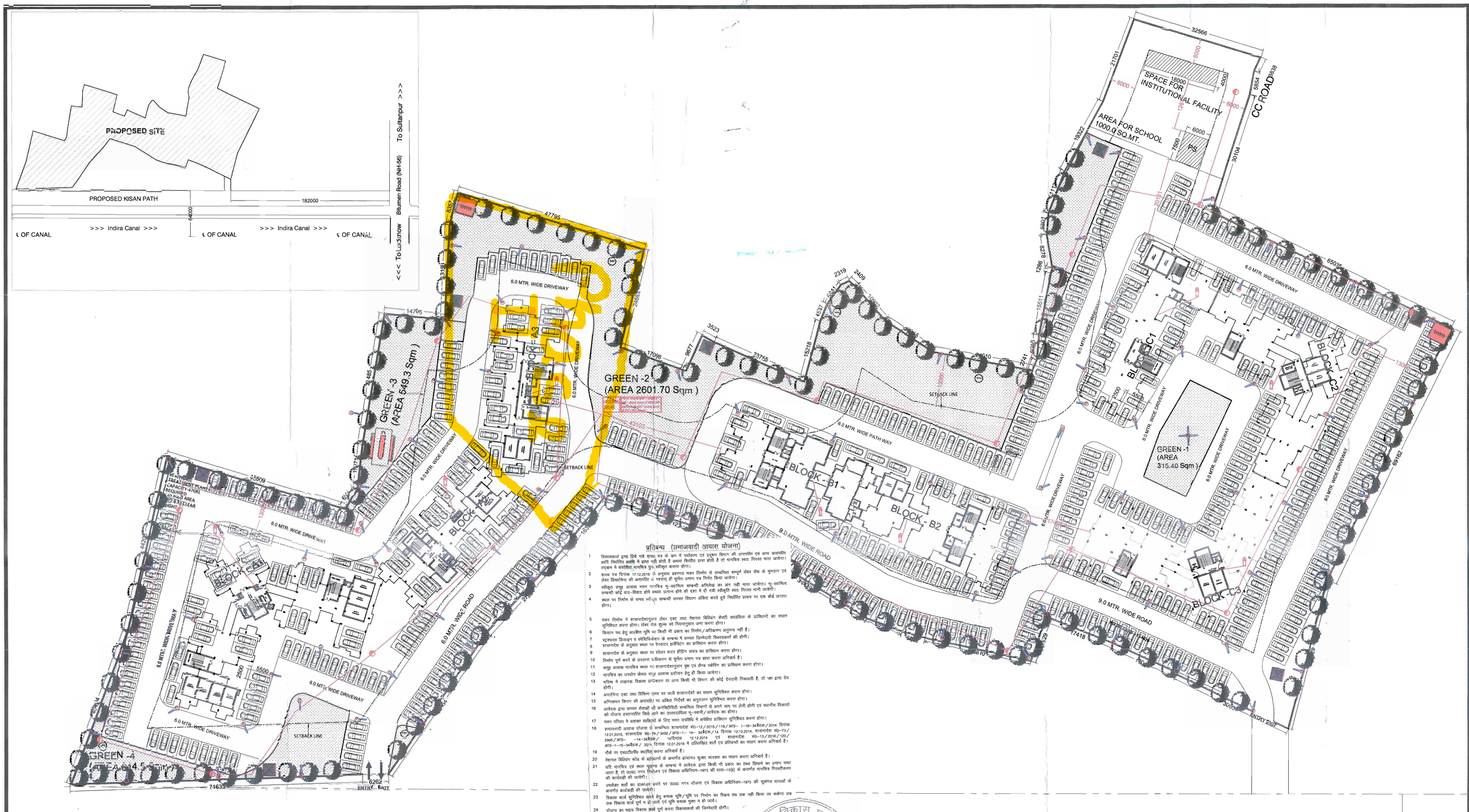

प्रतिबन्ध (समाजवादी आवास योजना)

1 विकासकर्ता द्वारा दिये गये शुल्क पत्र के क्रम में पर्यावरण एवं प्रदूषण विभाग की आपत्तियों एवं अन्य अवस्थापित आदि निर्माण अवधि में प्रारम्भ नहीं होती है अथवा निर्माण प्रारम्भ होती है तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। तदुक्रम में संशोधित मानचित्र पुनः स्वीकृत कराना होगा।

2 शासन पत्र दिनांक 17.12.2014 के अनुसार प्रस्तावित भवन निर्माण से सम्बन्धित समस्त लेकर सेवा के भुगतान एवं लेकर डिपार्टमेन्ट की आपत्तियों के समाप्त हो जाने के पश्चात ही पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

3 स्वीकृत समूह आवास भवन मानचित्र भू-स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख का अंग नहीं माना जायेगा। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई वाद-विवाद होने अथवा उपस्थन होने की दशा में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

4 स्थान पर निर्माण के समय भू०उ० सम्बन्धी समस्त विवरण अंकित करते हुये निर्धारित प्रारूप पर एक बोर्ड लगाना होगा।

5 भवन निर्माण में शासनादेशानुसार लेकर एवं तथा नेशनल बिल्डिंग सेफ्टी कार्यालय के प्राविधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा। लेकर रोड सूचना को नियमानुसार जमा करना होगा।

6 किसान पथ हेतु आरक्षित भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण/अतिक्रमण अनुमन्य नहीं है।

7 सूचनापत्र डिस्प्लेड व सर्टिफिकेशन के समक्ष में समस्त डिमेन्टरी विकासकार्यों की होगी।

8 शासनादेश के अनुसार स्थान पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।

9 शासनादेश के अनुसार स्थान पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र का प्राविधान करना होगा।

10 निर्माण पूर्ण करने के उपरान्त अधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

11 समूह आवास मानचित्र स्थान पर शासनादेशानुसार कुल एवं लैण्ड स्केपिंग का प्राविधान करना होगा।

12 मानचित्र का उपयोग केवल समूह आवास प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा।

13 भविष्य में लखनऊ विकास प्राधिकरण या अन्य किसी भी विभाग की कोई देयदारी निकलती है, तो वह द्वारा देय होगी।

14 अग्निशमन एवं तथा विभिन्न गृहन पर जारी शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।

15 अभिलाख किसान की आपत्ति पर अंकित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

16 आवेदक द्वारा समस्त सेवाओं जो कार्पोरेटिजी सम्बन्धित विभागों के अपने स्तर पर होनी होगी एवं स्थानीय निकायों को योजना हस्तान्तरित किये जाने का उत्तरदायित्व भू-स्वामी/आवेदक का होगा।

17 भवन नक्शा के अवस्था स्वीकृति के लिए भवन उपविधि में अंकित प्राविधान सुनिश्चित करना होगा।

18 समाजवादी आवास योजना के सम्बन्धित शासनादेश सं0-12/2016/119/आ0-1-16-अ0वि0/2014 दिनांक 12.01.2016, शासनादेश सं0-74/अ0/आ0-1-14-अ0वि0/14 दिनांक 12.12.2014, शासनादेश सं0-73/2966/आ0-1-14-अ0वि0/14दिनांक 12.12.2014 एवं शासनादेश सं0-13/2016/120/आ0-1-16-अ0वि0/2014 दिनांक 12.01.2016 में उल्लिखित शर्तों एवं प्राविधानों का पालन करना अनिवार्य है।

19 पौधे एवं एस्टाब्लिशमेंट व्यवस्थित करना अनिवार्य है।

20 नेशनल बिल्डिंग कोड के आवश्यकतानुसार के अन्तर्गत अग्निशमन सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है।

21 यदि मानचित्र एवं भवन मानचित्र के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य छिपाने का प्रमाण पाया जाता है, तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15(6) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

22 उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

23 विकास कार्य सुनिश्चित करने हेतु बन्धक भूमि/भूमि पर निर्माण का विक्रय तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक विकास कार्य पूर्ण न हो जाये एवं भूमि बन्धक मुक्त न हो जाये।

24 योजना का समग्र विकास कार्य पूर्ण कराना विकासकर्ता की जिम्मेदारी होगी।

25 नियमानुसार अग्रेतर पारिति का विकास विकासकर्ता द्वारा नहीं किया जायेगा।

यह मानचित्र 50.0 मीटर चौड़ा मार्ग के ऊपर अधिसूचित किए गये प्लाट सड़क अथवा एक सीमा तक सीमित किया किया है कि विकास प्राधिकरण भूमि वितरित स्वामित्व के लिए विचार कर सकें।

कार्यालय विकास प्राधिकरण
स्वीकृत
पत्रांक संख्या 40900
दिनांक 30-09-2016
स्वीकृत की तिथि 19-08-2016
अधिशासी अभियन्ता
विकास क्षेत्र, लखनऊ

AREA STATEMENT

Description		Particulars	Basement	Shops/Commercial	Lobby	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th	13th	Ground Coverage	Total FAR Area	No. Of Flats	No. of Persons @ 5P/Flat	Fire Escape	Mumraty & Absolute Room	Total Area for Fees
BLOCK-A	TOWER-1	AREA	564.7	111.51	57.424	718.480	718.480	718.480	718.480	718.480	718.480	718.480	718.480	718.480	718.480	718.480	718.480	718.480	733.634	9509.174	130	650	324.24	65.370	10463.484
		NO. OF FLATS			0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10							
	TOWER-2	AREA	336.87	31.86	56.498	415.010	415.010	415.010	415.010	415.010	415.010	415.010	415.010	415.010	415.010	415.010	415.010	415.010	425.228	5483.488	78	390	324.24	72.290	6216.888
		NO. OF FLATS			0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6							
	TOWER-3	AREA	348.43	31.86	68.45	440.770	440.770	440.770	440.770	440.770	440.770	440.770	440.770	440.770	440.770	440.770	440.770	440.770	448.740	5830.320	78	390	324.24	83.920	6586.910
		NO. OF FLATS			0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6							
BLOCK-B	TOWER-1	AREA	145.450	258.300	50	408.849	408.849	408.849	408.849	408.849	408.849	408.849	408.849	408.849	408.849	408.849	408.849	408.849	453.750	5623.337	78	390	273.98	82.824	6125.591
		NO. OF FLATS			0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6							
	TOWER-2	AREA	371.356	31.860	51.222	443.876	443.876	443.876	443.876	443.876	443.876	443.876	443.876	443.876	443.876	443.876	443.876	443.876	454.438	5853.470	78	390	273.98	82.824	6581.630
		NO. OF FLATS			0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6							
BLOCK-C	TOWER-1	AREA	459.2	31.86	50.51	533.710	533.710	533.710	533.710	533.710	533.710	533.710	533.710	533.710	533.710	533.710	533.710	533.710	541.570	7020.600	91	455	298.62	62.480	7840.900
		NO. OF FLATS			0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7							
	TOWER-2	AREA	524.64	31.86	47.04	594.660	594.660	594.660	594.660	594.660	594.660	594.660	594.660	594.660	594.660	594.660	594.660	594.660	603.540	7809.480	104	520	263.34	64.470	8661.930
		NO. OF FLATS			0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8							
	TOWER-3	AREA	582.51	31.86	48.67	658.650	658.650	658.650	658.650	658.650	658.650	658.650	658.650	658.650	658.650	658.650	658.650	658.650	663.040	8642.980	117	585	306.18	55.800	9587.470
		NO. OF FLATS			0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9							
P. SCHOOL					45														45.000	45.000					45.000
INSTITUTION					72														72.000	72.000					72.000
TOTAL				560.97															4440.94	55889.85	754	3770	2389	569.98	62181.80

CALCULATIONS OF AREAS

SL.NO.	DESCRIPTION	No./(%)	AREA IN SQ-MT.
1	PLOT AREA	100	24870.000
2	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE (35% OF PLOT AREA)	40%	8,704.500
3	PERMISSIBLE FAR (2.5 OF PLOT AREA)	2.5	62,175.000
4	PERMMIBLE NO OF UNITS @450 UNITS/HAC	1119	
5	REQUIRED NO. OF TREES@ 50 NOS /HAC	124	TREES
6	REQUIRED NO. OF PARKING		
	BETWEEN AREA 50- 70 SQ.MT. @ 1 ECS / 2 UNITS	572/2	ECS
	ABOVE AREA 70 SQ.MT. @ 1 ECS / UNITS	182	ECS
		468	ECS
	ACHIEVED AREAS:		
7	ACHIEVED GROUND COVERAGE	17.86%	4,440.940
8	TOTAL ACHIEVED FAR	2.247	55,889.85
9	NO. OF UNITS PROVIDED	754	
10	PROVIDED LANDSCAPE GREEN	16.41	4,080.90
11	PROVIDED NO. OF TREES	129	TREES
12	PROVIDED NO. OF PARKING		
14	SURFACE AND STILT	567	
15	TOTAL PARKING	567	CARS

S.NO.	GREEN	AREA (SQ.MT)
1	Green -1	315.4
2	Green -2	2601.7
3	Green -3	549.3
4	Green -4	614.5
	TOTAL GREEN	4080.9

PROJECT TITLE:

PROPOSED GROUP HOUSING IN VILLAGE BAKKAS, LUCKNOW.

KEYPLAN:

LEGEND

SYMBOL	PIPE DESCRIPTION	
P1	DIESEL DRIVEN PUMP 2850 LMP	
P2	ELECTRICAL DRIVEN PUMP 2850 LMP	
P3	JOCKEY PUMP 180 LMP	
Ⓐ	150ø HYDRANT PIPE	
Ⓒ	150ø HYDRANT PIPE	
Emergency exit with symbol provided on each floor of the building as per NBC-2005 norms. all corridors and staircase of the building shall be installed emergency light with one hour battery backup with separate circuit.		
	FIRE HOSE CABINET	
Ⓗ	HOOTERS	
	MANUAL CALL POINT [MCP]	
	PUBLIC ADDRESS SYSTEM WITH ALARM PANAL	
	CO_2 TYPE FIRE EXTINGUISHER	AS PER IS 2190-2010 ON EACH FLOOR OF THE BUILDING
	ABC TYPE FIRE EXTINGUISHER	
CONTROL PANEL	FIRE CONTROL PANEL	
	FIRE SERVICE INLET	
	YARD HYDRANT	

SUBMISSION DRAWING

NORTH:

NOTE:

यह मानचित्र लखनऊ महायोजना 2021, भवन उपविधि 2008 तथा समाजवादी आवास योजना के अनुरूप तैयार किया गया है।

DRAWING TITLE:

SITE PLAN

DRAWING NO:

KUTUMB/GH-1/SUB/01

SCALE	1:100 OR AS SHOWN	DATE	JUNE 2016
DRAWN		CHECKED	
PAPER		ISSUED	

CLIENT:

M/S ABC INFRAPROMOTERS PVT. LTD. / COMSORTIUM

For ABC Infrapromoters Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

DEVELOPER:

EXCELLA KUTUMB

पत्र सं0 ..... दिनांक 07.X.16 की शर्तों के अनु... अनुमोदन किया गया।
मुख्य वरि... अधिकारी
ल...

PRINCIPAL ARCHITECT:

JSR DESIGN PVT. LTD.
C-67, DEFENCE COLONY
NEW DELHI-110025

(के0 के0 मिश्र)
अग्नि शमन अधिकारी
एस0जी0पी0जी0आई0
लखनऊ

ARCHITECT:

ARPITA SINGH
Architect
CA/2011/52917

01/11